**मुल वाद में अन्तिम डिक्री**

# न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी निम्बाहेड़ा

पीठासीन अधिकारीः— पंकज शर्मा, RAS

उनवान

अशोक कुमार धाकड़ — बनाम — हरिशंकर धाकड़ वगैराह

दावा बाबतः— बंटवारा आराजीयात बाबत।

**मुकदमा नम्बरः— 125/2017 वाद** **निर्णय दिनांकः— 13.05.2019**

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण में लोक अदालत कैम्प कोर्ट कनेरा में दिनांक 20.06.2017 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई थी। तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने अपने पत्रांक/राजस्व/बी/12 दिनांक 31.07.2018 के माध्मय से फर्द विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं जो माफिक आदेशानुसार है।

अतः वाद वादी कतई डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि मोजा कनेरा की खाता संख्या 1018 का बंटवारा वादी व प्रतिवादीगण के मध्य निम्नानुसार किया जाता है—

1— अशोक कुमार पिता अम्बालाल धाकड़, निवासी कनेरा के रहेगी—

| आराजी नं. | रकबा हेक्टेयर में |
|---|---|
| 2738 (उत्तरी भाग) | 0.0200 |

2— हरिशंकर पिता लक्ष्मीनायण, बद्री पिता मांगीलाल, गोरधन पिता मांगीलाल, लखमीचन्द पिता चुन्नीलाल, प्रेमचन्द पिता देवा, जीवराज पिता रामलाल, किशनलाल पिता रामलाल, पन्नलाल पिता मूलचन्द, भगवानलाल पिता गबुर धाकड़ा सा. देह खातेदार के संयुक्त रहेगी—

| आराजी नं. | रकबा हेक्टेयर में |
|---|---|
| 2738 (शेष सम्पूर्ण) | 0.2000 |

उपर्युक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आज तारीख 13.05.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(पंकज शर्मा)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Sharma
Date: 2019.12.06 17:46:48 IST
Reason: SelfAttested